फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद प्रकरण जीसीएमएरा नंबर 2013/00001 बअनवान जोरसिंह बनाम भूरसिंह

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
7-5-018	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय की बहस सुनी गई। वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी व प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी पक्ष ने बहस के दौरान अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:– 1. 2018 (2) RRT 1030 2. 2018 (1) RRT 292 3. RRD 2002 540, 121 पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन एवं उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम चामुण्डेरी के हाल खसरा नंबर 2438, 2439, 2443, 2444 कुल रकबा 2.65 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों में वादीगण के 1/2 हिस्सा में भूरसिंह पुत्र ओटसिंह का नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज होने से भूरसिंह पुत्र ओटसिंह का नाम विलोपित कर संपूर्ण 1/2 हिस्सा का खातेदार वादीगण को घोषित किये जाने की मांग की गई है। अपनी उक्त मांग में मुख्य आधार यह लिया गया है कि वादीगण के दादा हेमसिंह के देहान्त बाद वादीगण के 1/2 हिस्सा में बतौर सहखातेदार भूरसिंह का नाम गलत दर्ज हुआ है। परंतु वादीगण के वादपत्र में उल्लेखित वादीगण की वंश वंशावली व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में उल्लेखित वंश वंशावलियों में मतभेद है। अर्थात वादीगण छगसिंह के एक पुत्र हेमसिंह होना ही वर्णित करते है, इसके विपरीत प्रतिवादीगण के अनुसार छगसिंह के दो पुत्र हेमसिंह व मानसिंह है तथा मानसिंह के पुत्र ओटसिंह तथा ओटसिंह का पुत्र भूरसिंह होने से वादीगण के साथ 1/2 हिस्सा में बहिस्सा बराबर के तौर पर भूरसिंह पुत्र ओटसिंह का नाम दर्ज हुआ है तथा भूरसिंह पुत्र ओटसिंह के द्वारा भूमि का बेचान/अंतरण करने से छोगसिंह पुत्र छतरसिंह वर्तमान अधिकार अभिलेखों मे दर्ज हुआ है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेखित वंश वंशावली के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। जबकि प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदारान द्वारा सहायक भू–प्रबंध अधिकारी महोदय जोधपुर कैम्प बाली के समक्ष आवेदन करने पर दिनांक 27.10.83 को पक्षकारों के बयान लिये जाने के उपरांत अलग–अलग पर्चा लगान जारी किये गये। इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष द्वारा ग्राम चामुण्डेरी के 32 मृत जागीदारों के वारिसान की सूची जो कि धारा 38 जागीर अधिनियम के तहत जारी की गई है, की सूची के अवलोकन से न्यायालय प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत वंश वंशावली से प्रतिवादी पक्ष की दलीलों से सहमत है। तथा इसके साथ ही वर्तमान अधिकार अभिलेखों में भूरसिंह पुत्र ओटसिंह के स्थान पर छोगसिंह पुत्र छतरसिंह दर्ज है। जिससे भी वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं है अतः वादीगण द्वारा ग्राम चामुण्डेरी के हाल खसरा नंबर 2438	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2439, 2443, 2444 कुल रकबा 2.65 हैक्टर के 1/2 हिस्सा में दर्ज भूरसिंह पुत्र ओटसिंह (छोगसिंह पुत्र छतरसिंह) का नाम विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं मजि०
उपखण्ड अधिकारी- बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. स्व. जोरसिंह पुत्र मोतीसिंह के वारिसानः–
   1/1. रघुवीरसिंह पुत्र स्व. जोरसिंह
   1/2. परबतसिंह पुत्र स्व. जोरसिंह
   1/3. किरण कुंवर पुत्री स्व. जोरसिंह
   1/4. छगन कुंवर पुत्री स्व. जोरसिंह
2. गुमानसिंह पुत्र मोतीसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. भूरसिंह पुत्र ओटसिंह के वारिसानः–
   1/1. बहादुरसिंह पुत्र भूरसिंह
   1/2. चन्दरकंवर पत्नी भूरसिंह
   1/3. सज्जनकंवर पुत्री भूरसिंह
   1/4. ऐवनकंवर पुत्री भूरसिंह
   1/5. पूरण कंवर पुत्री भूरसिंह
2. छोगसिंह पुत्र छत्तरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2013/00001
वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम चामुण्डेरी के हाल खसरा नंबर 2438, 2439, 2443, 2444 कुल रकबा 2.65 हैक्टर के 1/2 हिस्सा में दर्ज भूरसिंह पुत्र ओटसिंह (छोगसिंह पुत्र छतरसिंह) का नाम विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/04/25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner